संख्याः 200/USDMA/792(2020)

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए. **देहरादून, दिनांक : 08 जून, 2021**

विषयः **कोविड–19 के संक्रमण के नियत्रंण हेतु 'COVID - Curfew' के सम्बन्ध में संशोधित आदेश।**

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वर्तमान में कोविड–19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी के दृष्टिगत निम्नानुसार आदेश जारी किया जा रहा है–

1. पूर्व में जारी आदेश संख्याः 189 /USDMA/792(2020), दिनांक 07 जून, 2021 को तद्नुसार निरस्त किया जाता है।
2. पूर्व में जारी आदेश संख्याः 186/USDMA/792 (2020) दिनांक 06 जून, 2021 के बिन्दु संख्या–7 को बिन्दु संख्या 14.D में सम्मिलित कर, बिन्दु संख्या 14.E (i & ii) एवं (viii) में संशोधन करते हुए निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की जाती है–

14.D. वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है:

i. समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) **दिनांकः 09, 11 एवं 14 जून, 2021 (क्रमशः बुधवार, शुक्रवार एवं सोमवार)** को प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक खुले रहेंगे, परन्तु समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम, बार आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी।

ii. COVID curfew अवधि में दिनांक 12 एवं 13 जून, 2021 (शनिवार एवं रविवार) को नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मार्केटस एवं मण्डी आदि भीड़–भाड वाले स्थानों को निरन्तर sanitize करवाना सुनिश्चित करेगें।

iii. सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतर–राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति है।

iv. आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए मंडी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

v. होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल खाद्य पदार्थों की **Takeaway**/ होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी। होटल, ढाबे, रेस्तरां में बैठकर भोजन करना पूरी तरह से निषिद्ध रहेगा। होटल, ढाबे, रेस्तरां और भोजनालय होम डिलीवरी हेतु वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य मार्गों में चलने वाले मालवाहक एवं अन्य वाहनों के चालकों/यात्रियों की सुविधा हेतु भोजन को पैकिंग कर दिये जाने की अनुमति होगी।

vi. ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट, DTDC, Myntra आदि द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी/होम डिलीवरी की अनुमति है। राज्य के किसी भी स्थान पर चेकिंग के दौरान उन सेवादाता कम्पनियों के कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठानों से जारी किये गये वैध परिचय पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा।

vii. खाद्य और किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी।

viii. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया।

ix. दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं/डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर।

x. पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट।

xi. बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण इकाइयाँ और सेवाएँ।

xii. कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं।

xiii. कार्यालय और आवासीय परिसरों के रख–रखाव के लिए निजी सुरक्षा सेवाएं और सुविधाएं प्रबंधन सेवाएं।

xiv. क्वारंटाइन सुविधाओं के उपयोग हेतु चिह्नित किए गए प्रतिष्ठान।

xv. उपर्युक्त सभी सेवाओं में शामिल कर्मचारियों को बिना किसी प्रतिबंध के वैध आईडी कार्ड के साथ अपने प्रतिष्ठानों में आने जाने की अनुमति होगी।

14.E. परिवहन (i, ii & viii):

i. Inter-State movement of public transport shall continue to operate with 100% occupancy and subject to SOPs issued by State Transport Department. Passengers travelling to the State by air, bus, railways and private vehicles/ taxi shall register on Smart City e-pass web portal **(http://smartcitydehradun.uk.gov.in)** of Uttarakhand Government prior to commencement of their journey. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों (बस और टैक्सी के ड्राईवर, कन्डक्टर और हैल्पर) को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT-PCR Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।

ii. सार्वजनिक परिवहन का अंतर–राज्यीय आवागमन 100% capacity के साथ राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी एसओपी के अधीन जारी रहेगा।

iii. सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर/रिटेलर दुकानों को गोदामों में सामान की लोड करने/उतारने की दैनिक रूप से (24x7) अनुमति है।

पूर्व में जारी आदेश संख्याः 186/USDMA/792 (2020) दिनांक 06 जून, 2021 में दिये गये शेष दिशा–निर्देश यथावत रहेंगे।

अतः उपर्युक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

यह आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

भवदीय,

Om Prakash
8.6.21

(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा. मंत्री, आपदा प्रबंधन।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
5. महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद), विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मत्रीगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
8. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित पत्रावली।

आज्ञा से,

8/6/2021

(एस0ए0 मुरूगेशन)
सचिव